न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्याः 158/2016 (जीसीएमएस 2016/00131)

1. यादराम पुत्र सुवा लाल, जाति बलाई, आयु 38 वर्ष, निवासी पचार, तहसील दातारामगढ़, जिला सीकर।

-----अपीलार्थी

बनाम

1. गणेशराम पुत्र मंगलाराम, जाति मीणा, निवासी वार्ड नंबर 19, किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर, राजस्थान।
3. रामदेव पुत्र मंगलचन्द, जाति जाट, निवासी रामपुरा, तहसील कि नगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर।
4. लक्ष्मण राम पुत्र उदाराम, जाति जाट, निवासी भयामपुरा, तहसील दातारामगढ़, जिला सीकर।

-----प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 02.08.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक जिला जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2015 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 11.09.2015 अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 दिनांक 14.09.2015 को अपीलार्थी एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि ग्राम रामपुरा, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1/5 रकबा 5 बीघा, उसकी खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसके नजदीक खसरा नम्बर 1/3, 1/4 व 1/6 की आराजी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 2 ला. 4 की है तथा सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होने पर प्रार्थी ने सीमाज्ञान के लिये एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर पारित आदेश क्रमाक एलआर/14/1735 दिनांक 25.06.2014 पर हल्का पटवारी ने दिनांक 15.05.2015 को सीमाज्ञान कर अपनी रिपोर्ट तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल को प्रस्तुत कर दी थी, परन्तु अभी भी सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न हो रखा है, इसलिये मुताबिक फर्द रिपोर्ट हल्का पटवारी दिनांक 15.05.2015 के आधार पर पत्थरगढी कराना

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

चाहता है। उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 225/2015 के रूप में पंजीबद्ध कर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.11.2015 पारित किया है जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि भू राजस्व अधिनियम की धारा 111 व 128 के अवलोकन से यह निर्वचन प्राप्त होता है कि पत्थरगढ़ी का आदेश प्राप्त करने के लिये आवेदक को भूमि की खातेदारी व भूमि पर अपना आधिपत्य साबित करना आवश्यक है, यद्यपि आवेदित भूमि की खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, परन्तु आवेदित भूमि खसरा नम्बर 1/5 वाकै ग्राम रामपुरा, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर पर प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है, अपितु मौके पर अपीलार्थी का कब्जा है एवं अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की जॉच रिपोर्ट तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल से प्राप्त नहीं की व उक्त रिपोर्ट के अभाव में ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो उपरोक्त आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट सख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने आवेदन में अपना मूल स्थान वार्ड नम्बर 19, किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर अंकित किया है तथा विवादित भूमि ग्राम रामपुरा, तहसील किशनगढ़ रेनवाल में स्थित है, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के निवास से 20 किलोमीटर की दूरी पर है व प्रथम दृष्टया उपरोक्त तथ्य से ही यह साबित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विवादित भूमि व विवादित भूमि के ग्राम रामपुरा में निवास नहीं करता है तथा मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आधिपत्य नहीं है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.11.2015 पारित किया गया है, जो विधि विधान के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को सर्वप्रथम निांक 23.04.2016 को तब हुई जब अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.11.2015 की पालना के लिये राजस्व कर्मचारी विवादित भूमि पर आये, परन्तु विवादित भूमि की उत्तरी सीमा सीकर जिला के ग्राम पचार की सरहदी सीमा होने से पटवारी पचार व आईएलआर पचार के सहयोग के बिना पत्थरगढ़ी का कार्य नहीं हो पाया एवं तदुपरान्त अपीलार्थी ने अपीलाधीन निर्णय की सत्यप्रति के लिये दिनांक 26.04.2016 को आवेदन प्रस्तुत उक्त तिथि को ही अपीलार्थी निर्णय की सत्यप्रति प्राप्त कर ली एवं उक्त जानकारी की तिथि से उक्त अपील अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की गई है तथा तकनीकी परेशानियों से बचने के लिए उक्त अपील की प्रस्तुति में हुए विलम्ब के क्षमा के लिए एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम पृथक से प्रस्तुत किया गया है जो

स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकरी सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2015 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अभियोग संख्या 100/2020 में पटवारी हल्का मलिकपुरा द्वारा पुलिस उप अधीक्षक वृत्त सांभरलेक जिला जयपुर को भिजवाई गई राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट में वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को ही काबिज काश्त माना गया है तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी आराजी का सीमाज्ञान पत्थरगढी इत्यादि करवाने का कानूनन हक अधिकार प्रदत्त है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड काबिज काश्त खातेदार है जिससे उसे अपनी आराजी की पत्थरगढी करवाने के कानूनन अधिकार प्रदत्त है। उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की आराजी की सीमाऐं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी से लगती हुई है जिससे आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद रहता है जिस बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी का सीमाज्ञान दिनांक 15.05.2015 को करवाया गया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की समुचित सुनवाई के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2015 पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध मे अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के संलग्न जमाबन्दी के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम रामपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 1/5 का रिकार्डेड खातेदार है तथा तथा अभियोग संख्या 100/2020 के अनुसंधान में पुलिस उप अधीक्षक सांभरलेक द्वारा चाही गई सूचना के संदर्भ में पटवारी हल्का मलिकपुरा की रिपोर्ट दिनांक 21.08.2020 में वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड होना व मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को काबिज माना गया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में किसी प्रकार के उज्रात करने के कानूनन अधिकार अपीलान्ट को नही है।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2015 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।